# झारखण्ड सरकार
## जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) ग्रा०– 08 / 2013 ..... / राँची, दिनांक .....

## आदेश

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक– 1180 दिनांक– 28.02.2013 द्वारा श्री रविकान्त चौधरी (ID- 4473), तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लोहरदगा के विरूद्ध आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई –

श्री चौधरी के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में निम्नलिखित आरोप गठित किया गया है :–

1. मुरली तालाब से पतराटोली भाया बिटपी तक 3 कि०मी०ग्रेड–I पथ निर्माण योजना में आपके कार्यान्वयन में योजना की गुणवत्ता या विशिष्टियों पर अनदेखी करना, यथा–3 कि०मी० पथ निर्माण की योजना को 2 कि०मी० का कार्य संतोषजनक होना, शेश 1 कि०मी० की कार्य में प्लैक में होना, सही तरीके से संपीडन नहीं करना, बगैर संपीडन के गेड–I में मोरम बिछाया जाना, मेटल ग्रेड 4 ईंच मोटाई के स्थान पर 23 ईंच से 3 ईंच मोटाई का ही बिछाया जाना एवं विभिन्न स्थानों पर बगैर संपीडन के ही ग्रेड–I के ऊपर मोरम बिछाया जाना भी योजना के कार्यान्वयन की विशिष्टियों की अनदेखी करना, यह कार्यों के प्रति आपकी लापरवाही एवं अनियमितता को दर्शाता है।
2. योजना के कार्यान्वयन में लगाये गये मजदूरों के मस्टर रौल में उनके कार्यावधि अंकित नहीं है, जो मस्टर रौल के सत्यता पर संदेह उत्पन्न करता है, जो कार्यों के प्रति घोर लापरवाही का प्रतीक है।
3. आपके द्वारा मापी पुस्त में योजना कार्य का मूल्यांकन कार्य से अधिक अंकित करना अर्थात् 6,34,880 / – (छः लाख चौंतीस हजार आठ सौ अस्सी) रू० मात्र के कार्य के विरूद्ध 7,63,733 / – (सात लाख तिरसठ हजार सात सौ तैंतीस) रू० का कार्य हुआ, अंकित करना स्पष्टतया आपकी गलत मंशा, कर्त्तव्यहीनता एवं घोर लापरवाही को दर्शाता है।
4. उप विकास आयुक्त, लोहरदगा ने बेदाला डांडी में सिंचाई तालाब निर्माण हेतु अपने ज्ञापांक– 245 / अभि० दिनांक– 24.02.2004 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। परन्तु सहायक अभियंता ने बिना स्थल निरीक्षण किये ही पोखरीनुमा डांडी का प्राक्कलन तैयार किया तथा तकनीकी स्वीकृति दी। यही नहीं तालाब निर्माण के प्रारम्भ के बाद प्राक्कलन के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पक्की सिढ़ियों का निर्माण एवं मापी कनीय अभियंता द्वारा कर दी। फलस्वरूप इस योजना में 16,992 / – (सोलह हजार नौ सौ बानबे) रू० का गलत भुगतान किया गया। इस वित्तीय अनियमितता के लिए श्री रविकान्त चौधरी, सहायक अभियंता समान रूप से दोषी है।

(ख) इन आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 2513 दिनांक– 06.05.2016 द्वारा श्री रविकान्त चौधरी के विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के नियम–55 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

(ग) उक्त विभागीय कार्यवाही में नियुक्त संचालन पदाधिकारी के पत्रांक– 49 दिनांक– 22.02.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें प्रपत्र–'क' में गठित आरोप सं०–1, 2 एवं 3 को प्रमाणित नहीं पाया गया। आरोप सं०–04 के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री चौधरी के विरूद्ध केवल जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा पूर्व से स्वीकृत प्राक्कलन के स्थान पर बगैर सक्षम पदाधिकारी के आदेश के संशोधित प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति देने का आरोप प्रमाणित होता है,

परन्तु योजना के कार्यान्वयन मापी एवं भुगतान में इनकी संलिप्तता का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अतः श्री चौधरी के विरूद्ध आरोप सं०–04 आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

(घ) संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं सम्यक् समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री रविकान्त चौधरी से विभागीय पत्रांक– 798 दिनांक– 01.02.2018 द्वारा निम्न दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा किया गया –

(i) निन्दन

(ii) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ड़) उक्त के आलोक में श्री रविकान्त चौधरी के पत्रांक– 11 दिनांक– 17.02.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया। आरोप सं०–04 के संबंध में श्री चौधरी द्वारा कहा गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा कनीय अभियंता से संशोधित प्राक्कलन तैयार कराया गया जिसमें उनके द्वारा तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की अनुशंसा की गई। इस परिस्थिति में संशोधित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुरूप ही मेरे द्वारा प्रदान की गई है। यदि इस परिस्थिति में संशोधित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति मेरे द्वारा प्रदान नहीं की जाती है तो मेरे ऊपर ग्रामीणों द्वारा नाना प्रकार के इल्जाम लगाते एवं मेरे साथ अनहोनी घटना होने की सम्भावना बनी रहती।

(च) श्री चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि यद्यपि श्री चौधरी को झारखण्ड सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में एक लाख तक की तकनीकी स्वीकृति की शक्ति प्राप्त थी लेकिन पूर्व से स्वीकृत प्राक्कलन में यदि कोई विचलन किया जाना था तो उसकी स्वीकृति सक्षम स्तर से लेनी चाहिए थी, लेकिन श्री चौधरी द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

(छ) अतः रविकान्त चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोप के लिए उन्हें निम्नलिखित दण्ड दिये जाने का निर्णय लिया जाता है :–

(i) निन्दन

(ii) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ज) उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : .....राँची/दिनांक .....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, व्यैतिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 5240 .....राँची/दिनांक 07/12/18

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, लोहरदगा/मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री रविकान्त चौधरी, सहायक अभियंता, लघु वितरणी अवर प्रमण्डल सं०–04, मानगो, जमशेदपुर/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/12/2018

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव